विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय है :

अध्याय–1 : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के क्रिया–कलाप की सामान्य जानकारी।

अध्याय–2 : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का निष्पादन लेखापरीक्षा और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा।

अध्याय–3 : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ।

लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 370.25 करोड़ है।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) का क्रियाकलाप

31 मार्च 2017 को बिहार में 74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसमें से मात्र 27 सरकारी कम्पनियाँ और तीन सांविधिक निगम कार्यशील है। शेष सभी 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 सरकारी कम्पनियाँ है।

74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से सिर्फ 18 सा0क्षे0उ0 ने पिछले तीन वर्षों में अपने खातों का अन्तिमीकरण किया तथा 65 सा0क्षे0उ0 के लेखें 1977–78 के बाद से बकाया थे। लेखें में विलम्ब/लेखें नहीं बनाए जाने के कारण तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति, धोखाधड़ी एवं गबन की संभावना प्रबल हो जाती है।

18 सा0क्षे0उ0 के नवीनतम अंतिम लेखा के अनुसार, 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 278.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात सा0क्षे0उ0 में ₹ 1,437.93 करोड़ की हानि हुई और शेष एक सा0क्षे0उ0 जो होल्डिंग कम्पनी है, बिना लाभ हानि के आधार पर कार्य कर रही है। इन सा0क्षे0उ0 ने ₹ 11,277.70 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

इन 18 सा0क्षे0उ0 ने राज्य सरकार के निवेश पर 6.14 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया, जो वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच ली गई उधारी लागत दर 8.49 प्रतिशत से काफी कम रहा। इस प्रकार, 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विगत तीन वर्षों के अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उनमें निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को लगभग ₹ 1,159.75 करोड़ की हानि हुई। शेष 56 सा0क्षे0उ0, जिनके द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण नही किया गया है, की हानि यदि हो तो, का आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ 1.1 एवं 1.9)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2017 को, 74 सा0क्षे0उ0 में ₹ 53,891.59 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2012 में पाँच कम्पनियों में विभाजन के फलस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र (₹ 39,492.32 करोड़) में था।

(कंडिकाएँ 1.5 एवं 1.6)

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकायें

कम्पनी अधिनियम, 2013 यह नियत करता है कि कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणी का अंतिमीकरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समापन के छः महीने के अन्दर, अर्थात सितम्बर माह के अंत तक कर लेना है। ऐसा न होने पर दण्डात्मक प्रावधान लगाए जा सकते है जिसके अंतर्गत दोषी कम्पनी के सभी अधिकारियों को एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम ₹ पचास हजार तक जुर्माना जो ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते है।

30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल नौ सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2016–17 के अपने लेखाओं को अंतिमीकृत किया था तथा शेष 21 सा0क्षे0उ0 के 142 लेखाएँ 31 दिसम्बर 2017 को एक से 23 वर्षों की अवधि से अंतिमीकरण को बकाया थे। 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे एवं शेष 39 सा0क्षे0उ0 के 1,029 लेखाएँ बकाये थे, जिनकी अवधि एक से 40 वर्षों तक थी। राज्य सरकार ने 10 सा0क्षे0उ0 में ₹ 4,476.54 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश, ऋण, अनुदान और उपभोक्ताओं को सब्सिडी, इत्यादि) दी जिनके लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं हुआ था। इसमें से ₹ 2,467.06 करोड़ की सहायता सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 को दिया गया जिनके लेखाएँ 2014–17 के दौरान तीन वर्षों से ज्यादा से बकाया थे। राज्य सरकार ने सा0क्षे0उ0 के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की। 2014–17 के दौरान लाभ कमाने वाले 10 सा0क्षे0उ0 में से केवल दो सा0क्षे0उ0 ने अपने अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

(कंडिकाएँ 1.9, 1.10, 1.11 एवं 1.15)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

तीन निगमों के एक से 32 वर्षों तक के पृथक लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (पृ0ले0प0प्र0) राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए गए। यह वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी कम करता है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0परि0नि0) की वित्तीय जवाबदेही में इतनी खामियाँ थी कि सी0ए0जी0 ने बि0रा0प0परि0नि0 के वर्ष 2003–04 से 2005–06 के लेखाओं पर, जो मई 2014 से सितम्बर 2015 तक अंतिमीकृत किए गए थे, मंतव्य देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने 2006–17 के दौरान, बि0रा0प0परि0नि0 को ₹ 775.01 करोड़ का ऋण दिया, जब उसके लेखाएँ बकाया थे तथा निगम की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था। बि0रा0प0परि0नि0 ने 2010–11 से न ही ऋण के ₹ 775.01 करोड़ चुकाए और न ही देय ब्याज के ₹ 407.63 करोड़ का भुगतान किया।

(कंडिका 1.12)

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0[1] ने पाँच से 18 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, जो अधिकारिक परिसमापक, पटना एवं राँची उच्च न्यायालय के पास लम्बित थें। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 12 सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के आदेश दे दिए गए थे लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा अंतिम कार्यवाई किया जाना अभी तक लम्बित है।

(कंडिका 1.17)

[1] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

कम्पनियों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 25 कम्पनियों के 52 लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा और 12 कम्पनियों के 19 लेखाओं पर 85 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा तीन कम्पनियों[2] के कार्यकलापों, जिनके लेखा का अंतिमीकरण 2016–17 में हुआ था, पर सी0ए0जी0 ने गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया था।

(कंडिका 1.18)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, प्रशासकीय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण इसके विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए। यह प्रेक्षित किया गया कि 77 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, में से 15 विभागों की 47 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

(कंडिका 1.20)

सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना

15 नवम्बर 2000 से तत्कालीन बिहार के बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के रूप में पुनर्गठन के फलस्वरूप तत्कालीन 12 सा0क्षे0उ0 के सम्पत्तियों एवं दायित्वों को विभाजित करना (दिसम्बर 2005) तय हुआ था। हालाँकि यह प्रक्रिया दिसम्बर 2017 तक मात्र पाँच सा0क्षे0उ0 के संदर्भ में पूरी की गई थी।

(कंडिका 1.23)

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा बिहार सरकार एवं दो राज्य डिस्कॉम–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के बीच योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर (फरवरी 2016) हुए। यद्यपि दोनों डिस्कॉम द्वारा वित्तीय लक्ष्य तो प्राप्त किए गए परन्तु परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संतोषजनक नहीं थी।

(कंडिका 1.24)

अनुशंसाओं का सार

- **चूँकि अकार्यशील एवं हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के अस्तित्व में बने रहने से राजकोष से काफी अधिक मात्रा में राशि की बर्बादी होती है, राज्य सरकार द्वारा (i) सभी हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के**

[2] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का वर्ष 1991–92 से 1993–94 के लिए, बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2008–09 से 2015–16 के लिए तथा बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2001–02 से 2002–03 के लिए।

क्रियाकलाप एवं (ii) अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की स्थिति तथा उनके समापन के प्रक्रिया के शुरूआत की समीक्षा की जा सकती है।

- वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा0क्षे0उ0 अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कदम उठायें ताकि इन सा0क्षे0उ0 के निदेशक कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगम के सम्बन्धित अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन नहीं करें।
- वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार सिर्फ उन सा0क्षे0उ0 के लिए किया जाए जिनके लेखें अद्यतन है।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में तत्काल उपस्थापित किए जाए तथा ऐसा होने तक इन निगमों को अग्रेत्तर बजटीय सहायता न दी जाए।
- वित्त विभाग बि0रा0प0परि0नि0 के क्रियाकलापों पर विचार कर सकता है जहाँ सी0ए0जी0 ने निगम के लेखाओं पर मंतव्य देने से मना कर दिया था।
- वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासकीय विभाग 25 कम्पनियों के क्रियाकलाप पर विचार कर सकते है जहाँ संबंधित अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिए तथा उन तीन कम्पनियों पर जहाँ सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया।
- वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में अंश निवेश पर निर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का पाँच प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी), भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत काम करती है। कम्पनी ने उप संविदाकर्त्ता के माध्यम से बिहार सरकार के 27 उपयोगकर्त्ता विभागों/सा0क्षे0उ0/एजेंसियों के निर्माण परियोजनाएँ कार्यान्वित की। 2012–17 के दौरान कम्पनी ने ₹ 3,371.99 करोड़ का कार्य प्रारम्भ किया तथा ₹ 1,692.44 करोड़ का कार्य पूर्ण किया।

कम्पनी के क्रियाकलापों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है :

मानव संसाधन प्रबंधन

2010 में कम्पनी के गठन के बाद से ही पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक (एक बार छोड़कर) नहीं है। रिक्तियों के समेकित विज्ञापन के जगह टुकड़ों में विज्ञापन देने के कारण, मानवशक्ति के 428 स्वीकृत बल के विरूद्ध मार्च 2017 में मात्र 132 उपलब्ध थे। इन रिक्तियों के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप कार्य भार का असमान/अतार्किक वितरण हुआ।

(कंडिका 2.1.5)

वित्तीय प्रबंधन

संचय और आधिक्य जो 2012–13 के (–) ₹ 0.03 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 57.39 करोड़ हो गये, में दो उपयोगकर्ता विभागों से बिना अनुमोदन के अनियमित रूप से लिए गए सेन्टेज शुल्क के तौर पर ₹ 47.52 करोड़ भी सम्मिलित थे।

(कंडिका 2.1.6)

2012–14 के दौरान, शुरूआती वर्षों में काम नहीं कर पाने के कारण कम्पनी ने ₹ 181.92 करोड़ का प्रत्यर्पण किया।

(कंडिका 2.1.7)

कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं में अपने निधि से ₹ 55.44 करोड़ खर्च किए तथा उपयोगकर्ता विभागों से ब्याज के ₹ 4.55 करोड़ का दावा करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.1.8)

परियोजना प्रबंधन

योजना

699 कार्यों के नमूना जाँच में से 361 कार्यों में विभिन्न कारणों से कार्य प्रारंभ होने में एक से 21 महीनों का विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारणों में योजना प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के लिए समय सीमा तय न होना सम्मिलित था, जिसके कारण प्राक्कलन बनाने में प्रक्रियात्मक विलम्ब, तकनीकी स्वीकृति देने में विलम्ब, निविदा देने में विलम्ब, इत्यादि हुए।

(कंडिका 2.1.13)

कम्पनी ने उपयोगकर्ता विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति या निदेशक मंडल के स्वीकृति के बिना और उपयोगकर्ता विभाग के मौखिक अनुदेशों पर सात प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों का निर्माण किया। ₹ 1.28 करोड़ खर्च करने के बाद निधि की कमी के कारण, अप्रैल 2016 के बाद से कार्य रूके हुए थे।

(कंडिका 2.1.14)

101 बुनियाद केन्द्रों के प्राक्कलन में सलाहकार ने गलती से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सम्मिलित कर लिया जबकि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ऐसे परियोजनाओं पर शुल्क में छूट मिलती है। इसके फलस्वरूप, कम्पनी ₹ 5.25 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का छूट लेने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.16)

निविदा

बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन कर कम्पनी ने बिना निविदा आमंत्रित किए ₹ 19.48 करोड़ के 88 कार्यों के अतिरिक्त कार्य, प्रत्येक कार्य जो ₹ 10 लाख से अधिक के थे, को नामांकन के आधार पर उन्ही संवेदकों को दिए जिन्होनें मूल कार्य सम्पन्न किया था।

(कंडिका 2.1.18)

कम्पनी द्वारा अयोग्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर बोलीकर्त्ता को ₹ 125.66 करोड़ मूल्य के 60 प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों के निर्माण के लिए पाँच संविदाएँ दी गई।

(कंडिका 2.1.19)

बोली क्षमता के आकलन के दौरान, कम्पनी, संवेदक के विद्यमान कार्यों के मूल्य को मानक बोली दस्तावेज के अनुसार घटाने में विफल रही। इसकी वजह से अपर्याप्त बोली क्षमता वाले संवेदक को ₹ 34.41 करोड़ मूल्य के नौ प्री–फेब्रीकेटेड गोदामों के निर्माण का कार्य दे दिया गया। संवेदक नौ मे से किसी भी गोदाम को पूर्ण करने में असफल रहा।

(कंडिका 2.1.20)

कम्पनी ₹ 22.12 करोड़ मूल्य के आठ गोदामों के निर्माण कार्य को देने के पहले स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने में विफल रहा। इस वजह से संविदा देने के नौ से 26 महीने बीत जाने के पश्चात् भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था।

(कंडिका 2.1.21)

परियोजना कार्यान्वयन

215 गोदाम, 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) तथा 42 अन्य कार्य एक से 33 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुए। विवाद रहित जमीन की अनुपलब्धता, कार्य का धीमा निष्पादन, इत्यादि कारणों से 111 गोदाम, 11 सी0एच0सी0 तथा 41 अन्य कार्य एक से 36 महीने के विलम्ब के बावजूद अपूर्ण थे। इसके फलस्वरूप :

- 6,82,950 एम0टी0 भंडारण क्षमता वाले 326 गोदामों के इस्तेमाल में देरी के कारण 2014–17 के दौरान किराए पर लिए गए गोदामों पर ₹ 9.72 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- 86 सी0एच0सी0 के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के वांछित लाभ देने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.24)

84 गोदामों के हस्तांतरण में एक से 30 महीने का विलम्ब तथा छः पूर्ण गोदामों के हस्तांतरण में विलम्ब (12 से 33 महीने तक) के कारण 2014–17 के दौरान उपयोगकर्त्ता (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) ने किराए पर लिए गए गोदामों पर ₹ 76.95 लाख का परिहार्य व्यय किया।

40 सी0एच0सी0 के हस्तांतरण में एक से 22 महीनों का विलम्ब तथा छः सी0एच0सी0 के तीन से 18 महीनों तक हस्तांतरण न होने के कारण उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ मिलने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.25)

दो अनुबंधों में कम्पनी ने संवेदकों को वास्तविक दूरी की जगह लम्बी दूरी के दर पर ढुलाई भाड़ा दिया जिसके कारण ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। 358 मामलों में, यद्यपि संवेदकों द्वारा गिट्टी तथा खुरदरा बालू के ढुलाई के साक्ष्य के तौर पर अपेक्षित फॉर्म जमा नहीं किए गए, तब भी कम्पनी द्वारा ₹ 50.43 करोड़ संवेदकों को ढुलाई भाड़ा का भुगतान स्वीकृत किया गया।

(कंडिकाएँ 2.1.27 एवं 2.1.28)

अनुशंसाओं का सार

- कम्पनी को पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करना चाहिए।
- कम्पनी को अपने मानवशक्ति संरचना की समीक्षा करनी चाहिए जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि कम्पनी अनावश्यक पदों को समाप्त करने तथा कम संख्या वाले एक असरदार संस्था के निर्माण के अपने उद्देश्य में सफल है।
- कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।
- विभिन्न योजना कार्यों हेतु समय–सीमा के पालन का ध्यान कम्पनी को रखना चाहिए।
- उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही कम्पनी को कार्य प्रारंभ करना चाहिए।
- कम्पनी सलाहकार द्वारा तैयार आकलन के जाँच हेतु तकनीकी स्कंध में एक समर्पित प्रकोष्ठ के स्थापित करने पर विचार कर सकती है।
- बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार कम्पनी को ₹ 10 लाख से ऊपर के सारे कार्यों हेतु खुली निविदा करनी चाहिए।
- सभी संविदाओं को मानक बोली दस्तावेज तथा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- कम्पनी को कार्य शुरू करने के लिए संविदा देने से पूर्व संबद्ध प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए।
- कम्पनी को संवेदको के क्रियाकलाप का अनुश्रवण एवं निरीक्षण पर जोर देना चाहिए तथा विलंबित योजना को प्राथमिकता देते हुए एवं बाधाएँ, यदि कोई है, तो हटाते हुए पूर्ण करना चाहिए।
- कम्पनी को पूर्ण कार्यों को ससमय हस्तांतरित करना चाहिए।
- कम्पनी को प्राक्कलन के समय ही ढुलाई भाड़ा के भुगतान हेतु संभावित न्यूनतम दूरी का आकलन करना चाहिए ताकि अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सके।

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) बिहार में हर प्रकार के सरकारी शैक्षणिक आधारभूत संरचना का निर्माण तथा रख–रखाव करती है। 2012–17 के दौरान, कम्पनी ने ₹ 6,196.61 करोड़ की स्वीकृत राशि के 5,082 कार्यों समेत 60 परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य आरंभ किया और मार्च 2017 तक ₹ 3,617.06 करोड़ (58.37 प्रतिशत) का व्यय किया।

2012–17 के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न है :

वित्तीय प्रबंधन

2012–13 से 2015–16 के दौरान कम्पनी का कुल लाभ ₹ 5.24 करोड़ से ₹ 70.51 करोड़ तक बढ़ा। हालांकि वर्ष 2016–17 में कम्पनी की लाभप्रदत्ता घटकर ₹ 22.96

करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण कार्य का धीमा निष्पादन तथा राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2016 से सेन्टेज शुल्क में कटौती रहा।

ऑटो स्वीप सुविधा का चयन न कर, 2012–17 की अवधि के दौरान ₹ 293.84 करोड़ से ₹ 866.32 करोड़ की आधिक्य परियोजना राशि बचत बैंक खाता में रखने के कारण कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। इससे परियोजना निधि में ₹ 62.30 करोड़ के ब्याज के आय की हानि हुई।

कम्पनी ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान सेवा कर का देर से भुगतान किया जिसके कारण ब्याज राशि के रूप में ₹ एक करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिकाएँ 2.2.5 एवं 2.2.6)

योजना

विभिन्न राज्य प्राधिकारियों/उपयोगकर्त्ता विभाग से विवाद रहित जमीन मिलने में देरी के कारण, कम्पनी सात विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 240 कार्यों का प्रारम्भ, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 16 से 73 महीनों के विलम्ब के बावजूद भी नहीं कर सकी।

कम्पनी 297 मॉडल स्कूलों के प्राक्कलन में फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने में विफल रही। 71 मॉडल स्कूलों के मामले में जमीन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, मॉडल स्कूल योजना पूर्ण रूप से विफल रहा और ₹ 555.69 करोड़ के व्यय के बाद भी योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक लाभ नहीं मिल पाया।

(कंडिकाएँ 2.2.10 से 2.2.11)

परियोजना कार्यान्वयन

फर्जी बोली क्षमता वाले संवेदक के चयन के कारण संवेदक को अनुचित लाभ का विस्तार हुआ तथा ₹ 36.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.16)

यद्यपि कम्पनी ने ₹ 9.08 करोड़ मूल्य के छः कार्यों को कार्य की धीमी प्रगति के कारण निरस्त कर दिया, तथापि कम्पनी ₹ 59.68 लाख मूल्य के निष्पादन बैंक गारंटी (पी0बी0जी0) को यथासमय नवीनीकरण कराने में विफल रही, जिसके कारण इसे भुनाया नहीं जा सका। अग्रेत्तर 36 कार्यों के अपूर्ण होने के बाद भी कम्पनी ₹ 2.91 करोड़ मूल्य के पी0बी0जी0 के नवीनीकरण कराने में विफल रही।

(कंडिका 2.2.17)

कम्पनी छः कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने में विफल रही तथा चार वर्ष बीत जाने पर धीमी प्रगति के कारण संविदा को निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, दो कार्य बीच में ही परित्यक्त हो गए क्योंकि प्राधिकारियों ने गैर–बाधा मुक्त निर्माण स्थल पर निर्माण रोक दिया। इसके फलस्वरूप, इन आठ कार्यों पर ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.18)

कम्पनी भवन निर्माण विभाग के एस0ओ0आर0 में उपलब्ध 500 एम0एम0 व्यास के पाईल कार्य पर विशिष्ट दर घटक को ध्यान में रखने में विफल रही, जिसकी वजह से संवेदक को ₹ 3.72 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.19)

कम्पनी, कोड के प्रावधानों (बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, कान्ट्रैक्टर पंजीकरण नियम, 2012 तथा मानक बोली दस्तावेज) का 59 कार्यों में पालन करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 5.93 करोड़ का अनियमित भुगतान/विमुक्त हुआ।

(कंडिका 2.2.20)

अनुशंसाओं का सार

- **कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन, ऑटो स्वीप सुविधाओं का इस्तेमाल (बचत बैंक खातों में जमा करने की जगह) और करों का समय पर भुगतान कर कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।**
- **राज्य सरकार तथा कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजाईन और कार्य प्राक्कलन का अंतिमीकरण स्थानीय प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिलने के बाद ही हो।**
- **राज्य सरकार को निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सभी प्रलेखों का सत्यापन एवं वैसे निविदाकर्त्ता व उनके सहभागियों जो जाली प्रमाण–पत्र समर्पित करते हैं, को काली–सूची में डालने एवं उन पर आपराधिक मुकदामा चलाने हेतु उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।**
- **कम्पनी को पी0बी0जी का यथासमय नवीनीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।**
- **कम्पनी को कार्य शुरू करने के पहले बाधा मुक्त जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा गलती करनेवाले संवेदकों के विरूद्ध ससमय कार्रवाई करनी चाहिए।**
- **कम्पनी को श्रम तथा सामग्रियों के लिए उचित दर को बिहार एस0ओ0आर0 के अनुसार अपनाना सुनिश्चित करना चाहिए।**
- **कम्पनी को कोड के प्रावधानों तथा प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।**

3. अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है :

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अनियमित रूप से आपूर्त्तिकर्त्ता को ₹ 128.45 करोड़ एवं ₹ 157.36 करोड़ मूल्य की संविदा प्रदान की, प्रेषित माल को बिना किसी निर्धारित गुणवत्ता की जाँच के स्वीकार किया, आपूर्त्तिकर्त्ता से सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 10.72 करोड़ कम लिए, भुगतान रोक कर रखने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद निम्न गुणवत्ता वाले गनी बैग के लिए ₹ 15.75 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जारी किये, इस जानकारी के बावजूद कि आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा पहले वर्ष में आपूर्त्ति किये गये सामान निम्न गुणवत्ता के कारण जाँच के दायरे में है, उसी आपूर्त्तिकर्त्ता को दूसरे वर्ष की संविदा प्रदान की तथा आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में डालने के आदेशों की अवहेलना की।

(कंडिका 3.1)

बिहार स्टेट मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने बैंक जमाओं के निगरानी करने में विफल रहने के कारण ₹ 5.43 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(कंडिका 3.2)

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड ने सलाहकार के पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के बावजूद भी कम्पनी ने तीन साल तक सलाहकार की सेवाओं को अनावश्यक रूप से नवीनीकृत करते हुए ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया, जिससे कम्पनी द्वारा चार वर्षों में किया गया कुल व्यय ₹ 1.44 करोड़ निष्फल रहा। सलाहकार की सिफारिशों पर कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 50.27 करोड़ के परिहार्य दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3.3)

ऊर्जा शक्ति के क्रय के एकरारनामा में संशोधन में **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** की अनुचित कार्रवाई के कारण ₹ 61.70 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.6)

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के अनुचित वर्गीकरण एवं तदनुसार कम दर पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 5.24 करोड़ की राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.7)